# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 324/2024
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. इन्द्राज पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. श्योनारायाण पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. धर्मा पुत्री भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. इन्द्रावती पुत्री भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री स्व0 हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. जगदीश पुत्र हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. सन्दीप पुत्र हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 20/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 462/450 की 2.3400 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है भादरराम पुत्र दुदाराम का स्वर्गवास हो चुका है। भादरराम पुत्र दुदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 110 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भादरराम, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है भादरराम पुत्र दुदाराम का स्वर्गवास हो चुका है। भादरराम पुत्र दुदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 462/450 की 2.3400 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि भादरराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र दुदाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है भादरराम पुत्र दुदाराम का स्वर्गवास हो चुका है। भादरराम पुत्र दुदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक भादराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 462/450 की 2.3400 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र दुन्दाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक भादरराम पुत्र दुन्दाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 324 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्राज पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
4. महेन्द्र पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
5. श्योनारायाण पुत्र भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
6. धर्मा पुत्री भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
7. इन्द्रावती पुत्री भादरराम जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री स्व0 हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
9. जगदीश पुत्र हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
10. सन्दीप पुत्र हरकोरी जाति छींपा (छींपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 324 सन 2024 निर्णय दिनांक** 20/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 462 / 450 की 2.3400 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि भादरराम पुत्र दुन्दाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक भादरराम पुत्र दुन्दाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1 / 12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

**(पंकज गढ़वाल R.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**